न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती सपना कुमारी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 20 / 21

GCMS id : 2021 / 79

रामकल्याण आत्मज गोपाल उर्फ रामगोपाल, जाति मीना, निवासी ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रार्थी)

बनाम

1. भैरूलाल आत्मज गोपाल उर्फ रामगोपाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम –

1/1 अशोक आत्मज स्व. भैरूलाल

1/2 योगिता पुत्री स्व. भैरूलाल

1/3 सुमित्री पत्नी स्व. भैरूलाल

जाति मीना, निवासी ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2. प्रमेश कुमार गोपाल, जाति मीना, निवासी 822, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा
3. मंजू बाई पुत्री गोपाल पत्नी सुरेश कुमार, जाति मीना, निवासी उदपुरिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा
4. संजू बाई पुत्री गोपाल पत्नी दौलतराम, जाति मीना, निवासी ग्राम मुगेना इटावा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
5. सोसर बाई विधवा गोपाल, जाति मीना, निवासी ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. कान्तीलाल आत्मज लक्ष्मीचन्द, जाति मीना, निवासी 822, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा
7. सुरेश बाई पत्नी खुशराज, जाति मीना, निवासी ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. सुनीता बाई पत्नी सुरेश कुमार, जाति मीना, निवासी ग्राम बिसलाई, तहसील दीगोद, जिला कोटा
9. लोकेश गूजर आत्मज धन्नालाल, जाति गुर्जर, निवासी बैंक ऑफ इण्डिया के पास, मानपुरा, कोटा
10. लैण्ड होल्डर, जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
11. लैण्ड होल्डर, जर्ये तहसीलदार, दीगोद, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट
बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री जगदीश नन्दवाना, प्रार्थी अभिभाषक
श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी 1 ता 5

निर्णय

दिनांक : 12.08.2024

1- प्रार्थी की ओर से मूल वाद के साथ जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान किये जाने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र (212 RTA) में निवेदन किया गया कि –

- ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 187, 188, 300 कुल किता 3 रकबा 5.05 हैक्टर, ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 2.84 हैक्टर, ग्राम चार, तहसील दीगोद, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 328/335, 329/363 कुल किता 2 रकबा 3.17 हैक्टर प्रार्थी तथा प्रतिपक्षी क्रम 1 लगायत 4 के पिता स्व. गोपाल उर्फ रामगोपाल की तन्हा खातेदारी की आराजी थी।
- इसी प्रकार ग्राम पोलाईकलां, तहसील दीगोद, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 5, 12 कुल किता 2 रकबा 5.29 हैक्टर प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम 1 लगायत 4 के पिता स्व. गोपाल तथा प्रतिपक्षी क्रम 6 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी, जिसमें स्व. गोपाल उर्फ रामगोपाल का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी क्रम 6 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा निहित था।
- गोपाल उर्फ रामगोपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा ग्राम डाहरा, ग्राम गोदल्याहेडी व ग्राम चार की विवादित आराजी में तो स्व. गोपाल का फोती नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है। ग्राम पोलाईकलां की आराजी का फोती नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ है, जिससे ग्राम पोलाईकलां की आराजी में स्व. गोपाल का ही नाम चला आ रहा है।

ACM (HQ), Kota

- प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 स्व. गोपाल की पुत्रियां तथा प्रतिपक्षी क्रम 7 व 8 स्व. लक्ष्मीचन्द की पुत्रियां है। पक्षकारान मीना जाति से है जो अनुसूचित जाति में है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। पुराने हिन्दू कानून मृतक के पुरुष वारिसों की उपस्थिति में स्त्री वारिसों को मृतक की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है इस कारण प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 ही मृतक गोपाल उर्फ रामगोपाल के वारिस व उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार स्व. लक्ष्मीचन्द का वारिस केवल प्रतिपक्षी क्रम–6 ही है।
- तहसील वालों ने कानून की जानकारी के अभाव में गोपाल उर्फ रामगोपाल तथा लक्ष्मीचन्द की मृत्यु उपरान्त प्रतिपक्षी क्रम 3 लगायत 5 तथा 7 व 8 के नाम भी फोती इंतकाल खोल दिया इसलिये इनका नाम हटाया जाकर पूरी भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1, 2, 6 के नाम रहने योग्य है।
- ग्राम डाहरा के खसरा नम्बर 187, 188 पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर दिनांक 01.06.2021 को काश्त करने गया तो प्रतिपक्षी नम्बर 9 ने प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि की हंकाई करने से मना किया और कहा कि भूमि को वह काश्त करेगा, उसे प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 ने दी है जबकि प्रतिपक्षी–9 स्ट्रेन्जर है। भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। स्ट्रेन्जर परसन को संयुक्त खातेदारी की भूमि के बिना विभाजन हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
- प्रतिपक्षी नम्बर–9 लडाकू प्रवृति का व्यक्ति है तथा उसने धमकी दी है कि वह खसरा नम्बर 187, 188 की भूमि को काश्त करेगा। यदि किसी ने उसे रोका तो वह किसी भी हद तक जा सकता है इसलिये प्रतिपक्षी 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है। उसे रोका नहीं गया तो वह प्रार्थी को अपने हिस्से के उपयोग उपभोग से महरूम कर देगा और अपने अवैध कृत्य में सफल हो जायेगा। यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
- अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम डाहरा की आराजी खसरा नम्बर 187, 188 पर प्रार्थी के कब्जे कास्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिपक्षी क्रम–9 व उसके परिवार के सदस्यों व प्रतिनिधियों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दे।

3- न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण की जर्ये पंजीकृत डाक तलवी समन जारी किये गये। प्रतिवादी क्रम 6 लगायत 8 की सम्यक तामील उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी क्रम–1 के वारिसान तथा 2 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि –

- ग्राम पोलाईकलां की भूमि गोपाल जी के खाते दर्ज होना स्वीकार नहीं है। तीनों गावों के फोती नामान्तरकरण स्वयं वादी ने खुलवाये है।
- गोपाल उर्फ रामगोपाल का फोती नामान्तरकरण उनके सभी वारिसान पत्नी, पुत्रों व पुत्रियों के नाम स्वयं वादी ने ही खुलवाये है। इसमें तहसील की कोइ गलती नहीं है। वादी, उक्त भूमियों में से प्रतिवादी क्रम–3 ता 5 का नाम डिलीट करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार हिस्से पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है।
- स्व. गोपाल उर्फ रामगोपाल ने अपने जीवनकाल में ग्राम डाहरा, ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा व ग्राम चार, ग्राम पोलाईकलां, तहसील दीगोद, जिला कोटा की विवादित आराजीयात का वर्ष 2003 में ही पारिवारिक विभाजन कर दिया था जिसके तहत ही प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–1 ता 5 काबिज काश्त है।
- प्रार्थी का केस प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

4- प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई –

- प्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 RTA के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम डाहरा की आराजी खसरा नम्बर 187, 188, 300 कुल किता 3 रकबा 5.05 हैक्टर, ग्राम गोदल्याहेडी, की आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 2.84 हैक्टर, ग्राम चार की आराजी खसरा नम्बर 328/335, 329/363 कुल किता 2 रकबा 3.17 हैक्टर गोपाल उर्फ रामगोपाल की तन्हा खातेदारी की आराजी थी तथा ग्राम पोलाईकलां की आराजी खसरा नम्बर 5, 12 कुल किता 2 रकबा 5.29 हैक्टर स्व. गोपाल तथा

T.I.Ramkalyan Bherulal

ACM (HQ), Kota

प्रतिपक्षी क्रम 6 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी, जिसमें स्व. गोपाल उर्फ रामगोपाल का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिपक्षी क्रम 6 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा निहित था। गोपाल उर्फ रामगोपाल की मृत्यु हो चुकी है तथा ग्राम डाहरा, ग्राम गोदल्याहेडी व ग्राम चार की विवादित आराजी में तो स्व. गोपाल का फोती नामान्तरकरण तस्दीक हो चुका है। ग्राम पोलाईकलां की आराजी का फोती नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ है, जिससे ग्राम पोलाईकलां की आराजी में स्व. गोपाल का ही नाम चला आ रहा है। प्रतिपक्षी क्रम 3 व 4 स्व. गोपाल की पुत्रियां तथा प्रतिपक्षी क्रम 7 व 8 स्व. लक्ष्मीचन्द की पुत्रियां है। पक्षकारान मीना जाति से है जो अनुसूचित जाति में है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते है। पुराने हिन्दू कानून मृतक के पुरूष वारिसों की उपस्थिति में स्त्री वारिसों को मृतक की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तहसील वालों ने कानून की जानकारी के अभाव में गोपाल उर्फ रामगोपाल तथा लक्ष्मीचन्द की मृत्यु उपरान्त प्रतिपक्षी क्रम 3 लगायत 5 तथा 7 व 8 के नाम भी फोती इंतकाल खोल दिया इसलिये इनका नाम हटाया जाकर पूरी भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षी नम्बर 1, 2, 6 के नाम रहने योग्य है। ग्राम डाहरा के खसरा नम्बर 187, 188 पर प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर दिनांक 01.06.2021 को काश्त करने गया तो प्रतिपक्षी नम्बर 9 ने प्रार्थी को संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि की हंकाई करने से मना किया और कहा कि भूमि को वह काश्त करेगा, उसे प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 ने दी है जबकि प्रतिपक्षी–9 स्ट्रेन्जर परचेजर है। भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। स्ट्रेन्जर परसन को संयुक्त खातेदारी की भूमि में, बिना विभाजन हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिपक्षी नम्बर–9 लडाकू प्रवृति का व्यक्ति है तथा उसने धमकी दी है कि वह खसरा नम्बर 187, 188 की भूमि को काश्त करके रहेगा इसलिये प्रतिपक्षी 9 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हो गया है। उसे रोका नहीं गया तो वह प्रार्थी को अपने हिस्से के उपयोग उपभोग से महरूम कर देगा और अपने अवैध कृत्य में सफल हो जायेगा। यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम डाहरा की आराजी खसरा नम्बर 187, 188 पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने हेतु प्रतिपक्षी क्रम–9 व उसके परिवार के सदस्यों व प्रतिनिधियों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थी को शान्तिपूर्वक काश्त करने दे।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र 212 RTA के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम पोलाईकलां की भूमि गोपाल जी के खाते दर्ज नहीं है। गोपाल उर्फ रामगोपाल का फोती नामान्तरकरण उनके सभी वारिसान पत्नी, पुत्रों व पुत्रियों के नाम स्वयं वादी ने ही खुलवाये है। वादी, उक्त भूमियों में से प्रतिवादी क्रम–3 ता 5 का नाम डिलीट करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार हिस्से पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी नहीं है। स्व. गोपाल उर्फ रामगोपाल ने अपने जीवनकाल में ग्राम डाहरा, ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा व ग्राम चार, ग्राम पोलाईकलां, तहसील दीगोद, जिला कोटा की विवादित आराजीयात का वर्ष 2003 में ही पारिवारिक विभाजन कर दिया था जिसके तहत ही प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम–1 ता 5 काबिज काश्त है। प्रार्थी का केस प्राइमाफेसी केस नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2024;1द्ध क्छश्र ;त्मअण्द्धए च्ंम 494.497 पेश किया गया।

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और नियमों, अधिनियमों, परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की पैतृक आराजी है। पक्षकारान अनुसूचित जाति "मीणा जाति" के सदस्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा की प्राप्ति के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।

ACM (HQ), Kota

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम डाहरा की आराजी खसरा नम्बर 187 व 188 पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं किये जाने हेतु पावन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। ज्ञातव्य है कि विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। संयुक्त खातेदारी की आराजी का विभाजन होने के पूर्व विवादित आराजी पर समस्त सहखातेदारान का हक व अधिकार निहित होने के कारण यह केवल प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा तथा प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थी को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिये।

प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थी द्वारा तहसील लाडपुरा के ग्राम डाहरा की आराजी खसरा नम्बर 187 व 188 पर अप्रार्थी क्रम–9 के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाही गई है। उक्त विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजी है, जिसमें पक्षकारान का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। सुविधा का सन्तुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम डाहरा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 187 व 188 पर अप्रार्थी क्रम–9 के विरूद्ध निषेधाज्ञा चाही गई है। अप्रार्थी क्रम–9 स्ट्रेन्जर है। भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। स्ट्रेन्जर परसन को संयुक्त खातेदारी की भूमि के विना विभाजन हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थी क्रम–9 से कोई अपूरणीय क्षति होना संभावित नहीं है।

6- उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विवादित आराजी ग्राम डाहरा, ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा तथा ग्राम चार, ग्राम पोलाईकलां, तहसील दीगोद, जिला कोटा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी की ओर से पेश किये गये इस तर्क का निर्धारण मूल वाद में तनकीयात कायम की जाकर तथा उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर ही किया जाना संभव है। प्रस्तुत प्रकरण प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7- निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12 अगस्त, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/8/24

(सपना कुमारी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा